डिकी मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम –हिण्डौन जिला करौली
इजलास हेमराज गुर्जर, R.A.S.

उनवान

1. हरीश चन्द पुत्र हजारीलाल उम्र 55 साल जाति ब्राह्मण निवासी गढी बांदवा हालवासी धावन धोलेटा रोड क्यारदाखुर्द तहसील हिण्डौन जिला करौली ———— वादी

बनाम

1. कल्याण सिंह पुत्र जवाहर सिंह जाति जाट निवासी क्यारदाखुर्दा तहसील हिण्डौन जिला करौली राज0
2. हीरा | पिसरान सुखचंद | जाति–जाटव, निवासी–पावटियान का पुरा
3. इन्दर
4. हरि | क्यारदाखुर्द, तहसील–हिण्डौन जिला करौली
5. रामेश्वरी बेवा शिवचरण
6. कम्पूरी बेवा सुखचंद
7. रामवती पुत्री सुखचंद पत्नि रामरतन जाति जाटव निवासी गडनोली तहसील महवा जिला दौसा राज0
8. सिया पुत्र किशन | जाति–जाटव, निवासी–पावटियान का पुरा क्यारदा खुर्द
9. दरबी बेवा किशन | तहसील–हिण्डौनसिटी
10. मु. सुशीला पुत्री किशन पत्नि समय | जाति–जाटव, निवासी–बागरैन, पो0–खरेरी
11. मु. बिमला पुत्री किशन पत्नि मुरारी | तहसील–बयाना जिला भरतपुर
12. झूत्या पुत्र फोंदे जाति जाटव निवासी पावटा तहसील महुवा जिला दौसा राज0
13. मुरारी | पिसरान बाबूलाल जाति–जाटव, निवासी–पावटियान का पुरा,
14. टीकम | क्यारदाखुर्द, तहसील हिण्डौन जिला करौली
15. मु. शारदा पुत्री बाबूलाल पत्नि उत्तम | जाति जाटव निवासी बागरैन
16. मु. रिना पुत्री बाबूलाल पत्नि सुगर
17. मु. कल्ली पुत्री बाबूलाल पत्नि मनोज | तहसील बयाना जिला भरतपुर
18. अशोक | पिसरान बद्री
19. शेरसिंह
20. उगंती बेवा बद्री
21. मु. कृष्णा पुत्री बदरी पत्नि शिवशंकर जाति जाटव निवासी जाटव बस्ती बयाना जिला भरतपुर राज0
22. मु. कैलासी पुत्री बद्री पतिन हरकिशन जाति जाटव निवासी बागरैन तहसील बयाना जिला भरतपुर राज0
23. राजेश | पिसरान–फैली, जाति–जाटव, निवासी–पावटियान का पुरा, क्यारदाखुर्द
24. गोलू | तहसील–हिण्डौनसिटी जिला करौली (राज0)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

25. कलावती बेवा फैली जाटव निवासी पावटियान का पुरा क्यारदा तहसील हिण्डौन

26. मुकेशी पुत्री फैली पत्नि लक्खी जाति जाटव निवासी बागरैन तहसील बयाना जिला भरतपुर राज0

27. मल्ली पुत्री फैली पत्नि श्रीचंद जाति जाटव निवासी जाटवबस्ती बयाना तहसील बयाना जिला भरतपुर राज0

28. गुमान	पिसरान	जाति–जाट, निवासी–पावटियान का पुरा क्यारदाखुर्द
29. मुकेश	मोती	तहसील–हिण्डौनसिटी जिला करौली (राज0)
30. रमाकान्त		
31. मु. रामेश्वरी बेवा मोती		

32. बाबूलाल पुत्र मनोहरी जाति जांगिड हालवासी वर्धमान नगर हिण्डौन तहसील हिण्डौन

33. विमला देवी पत्नि सुरेशचंद जाति महाजन निवासी जैन मंदिर के पास मोहनल नगर हिण्डौन जिला करौली राज0

34. संतोष कुमार पुत्र कल्याण प्रसाद जाति महाजन निवासी मोहन नगर हिण्डौन

35. शैलेन्द्र कुमार पुत्र लखनलाल जाति महाजन निवासी सूरौठ पैलेस हिण्डौन

36. रामस्वरूप पुत्र किशोरी अग्रवाल निवासी सी–10 नित्यानन्द नगर जयपुर राज0

37. राजेन्द्र कुमार	पिसरान पूरनमल	जाति–महाजन, निवासी केशवपुरा, हिण्डौन
38. महेन्द्र कुमार		
39. दिनेश कुमार		तहसील–हिण्डौन, जिला करौली (राज0)
40. गिरधारी लाल		
41. रघुकुल		
42. लक्ष्मण		
43. रूकमणी बेवा पूरण		

44. सुनीता कुमारी पुत्री पूरनमल पत्नि सुनील सिंघल सुनीता जनरल स्टोर उपर का दरवाजा भुसावर जिला भरतपुर

45. निर्मल कुमारी पुत्री पूरनमल पत्नि लोकेन्द्र महाजन निवासी तेलीपाडा बयाना जिला भरतपुर राज0

46. कमलेश कुमारी पुत्री पूरनमल पत्नि सुभाचन्द नि0 ओन बडापाव भण्डार डेरी सर्किल कोस बछोदा गुजराज

47. नत्थीलाल पुत्र दुर्गालाल जाति महाजन नि0 टीकाकुण्ड हनुमानजी मंदिर के पीछे हिण्डौन तहसील हिण्डौन सिटी

48. मनीष पुत्र घनश्याम महाजन नि0 आर्य समाज रोड भरतपुर राज0

49. संजय पुत्र नेमीचन्द भुसावर वाले आर्य समाज रोड भरतपुर

50. कैलाश पुत्र गोपाल जाट निवासी रायपुर तहसील गंगापुरसिटी

51. भगवानसहाय पुत्र केदार जाति महाजन निवासी गर्ल्स स्कूल के पीछे हिण्डौन तहसील हिण्डौन जिला करौली राज0

52. तहसीलदार तहसील हिण्डौन (लेण्ड होल्डर) ———————— प्रतिवादीगण

दावा बाबत् तकास्मा, **मुकदमा नं0 53/2012**

इस्तकरारहकएवं स्थायी निषेधाज्ञा,

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजिरी श्री अशोक नीमनका एडवोकेट मिन कानिव मुदई रूबरू श्री रामभरोसी गोयल एडवोकेट मिन जानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् तकास्मा, इस्तकरार हक एवं स्थायी निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादीगण विवादित आराजी खसरा नम्बर 1183 रकबा 0.14 है0 वाके ग्राम क्यारदाखुर्द तहसील हिण्डौन खारिज किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26.09.2025 को यह डिक्री जारी की गई।

(हेमराज गुर्जर) 26/9/25
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 53/2012

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गुर्जर

R.A.S.

तारीख रजू:– 21.03.2012

1. हरीश चन्द पुत्र हजारीलाल उम्र 55 साल जाति ब्राह्मण निवासी गढी बांदवा हालवासी धावन धोलेटा रोड क्यारदाखुर्द तहसील हिण्डौन जिला करौली ———— वादी

बनाम

1. कल्याण सिंह पुत्र जवाहर सिंह जाति जाट निवासी क्यारदाखुर्दा तहसील हिण्डौन जिला करौली राज0
2. हीरा | पिसरान
3. इन्दर | सुखचंद
4. हरि |
5. रामेश्वरी बेवा शिवचरण
6. कम्पूरी बेवा सुखचंद

   | जाति–जाटव, निवासी–पावटियान का पुरा क्यारदाखुर्द, तहसील–हिण्डौन जिला करौली
7. रामवती पुत्री सुखचंद पत्नि रामरतन जाति जाटव निवासी गडनोली तहसील महवा जिला दौसा राज0
8. सिया पुत्र किशन | जाति–जाटव, निवासी–पावटियान का पुरा क्यारदा खुर्द
9. दरबी बेवा किशन | तहसील–हिण्डौनसिटी
10. मु. सुशीला पुत्री किशन पत्नि समय | जाति–जाटव, निवासी–बागरैन, पो0–खरेरी
11. मु. बिमला पुत्री किशन पत्नि मुरारी | तहसील–बयाना जिला भरतपुर
12. झूत्या पुत्र फोंदे जाति जाटव निवासी पावटा तहसील महुवा जिला दौसा राज0
13. मुरारी | पिसरान बाबूलाल जाति–जाटव, निवासी–पावटियान का पुरा,
14. टीकम | क्यारदाखुर्द, तहसील हिण्डौन जिला करौली
15. मु. शारदा पुत्री बाबूलाल पत्नि उत्तम
16. मु. रिना पुत्री बाबूलाल पत्नि सुगर
17. मु. कल्ली पुत्री बाबूलाल पत्नि मनोज
18. अशोक | पिसरान बद्री
19. शेरसिंह |
20. उगंती बेवा बद्री

    | जाति जाटव निवासी बागरैन तहसील बयाना जिला भरतपुर
21. मु. कृष्णा पुत्री बदरी पत्नि शिवशंकर जाति जाटव निवासी जाटव बस्ती बयाना जिला भरतपुर राज0
22. मु. कैलासी पुत्री बद्री पतिन हरकिशन जाति जाटव निवासी बागरैन तहसील बयाना जिला भरतपुर राज0
23. राजेश | पिसरान–फैली, जाति–जाटव, निवासी–पावटियान का पुरा, क्यारदाखुर्द
24. गोलू | तहसील–हिण्डौनसिटी जिला करौली (राज0)
25. कलावती बेवा फैली जाटव निवासी पावटियान का पुरा क्यारदा तहसील हिण्डौन

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

26. मुकेशी पुत्री फैली पत्नि लक्खी जाति जाटव निवासी बागरैन तहसील बयाना जिला भरतपुर राज0

27. मल्ली पुत्री फैली पत्नि श्रीचंद जाति जाटव निवासी जाटवबस्ती बयाना तहसील बयाना जिला भरतपुर राज0

28.	गुमान	पिसरान	जाति–जाट, निवासी–पावटियान का पुरा क्यारदाखुर्द
29.	मुकेश	मोती	तहसील–हिण्डौनसिटी जिला करौली (राज0)
30.	रमाकान्त		
31.	मु. रामेश्वरी बेवा मोती		

32. बाबूलाल पुत्र मनोहरी जाति जांगिड हालवासी वर्धमान नगर हिण्डौन तहसील हिण्डौन

33. विमला देवी पत्नि सुरेशचंद जाति महाजन निवासी जैन मंदिर के पास मोहनल नगर हिण्डौन जिला करौली राज0

34. संतोष कुमार पुत्र कल्याण प्रसाद जाति महाजन निवासी मोहन नगर हिण्डौन

35. शैलेन्द्र कुमार पुत्र लखनलाल जाति महाजन निवासी सूरौठ पैलेस हिण्डौन

36. रामस्वरूप पुत्र किशोरी अग्रवाल निवासी सी–10 नित्यानन्द नगर जयपुर राज0

37.	राजेन्द्र कुमार	पिसरान पूरनमल	जाति–महाजन, निवासी केशवपुरा, हिण्डौन
38.	महेन्द्र कुमार		
39.	दिनेश कुमार		तहसील–हिण्डौन, जिला करौली (राज0)
40.	गिरधारी लाल		
41.	रघुकुल		
42.	लक्ष्मण		
43.	रूकमणी बेवा पूरण		

44. सुनीता कुमारी पुत्री पूरनमल पत्नि सुनील सिंघल सुनीता जनरल स्टोर उपर का दरवाजा भुसावर जिला भरतपुर

45. निर्मल कुमारी पुत्री पूरनमल पत्नि लोकेन्द्र महाजन निवासी तेलीपाडा बयाना जिला भरतपुर राज0

46. कमलेश कुमारी पुत्री पूरनमल पत्नि सुभाचन्द नि0 ओन बडापाव भण्डार डेरी सर्किल कोस बछोदा गुजराज

47. नत्थीलाल पुत्र दुर्गालाल जाति महाजन नि0 टीकाकुण्ड हनुमानजी मंदिर के पीछे हिण्डौन तहसील हिण्डौन सिटी

48. मनीष पुत्र घनश्याम महाजन नि0 आर्य समाज रोड भरतपुर राज0

49. संजय पुत्र नेमीचन्द भुसावर वाले आर्य समाज रोड भरतपुर

50. कैलाश पुत्र गोपाल जाट निवासी रायपुर तहसील गंगापुरसिटी

51. भगवानसहाय पुत्र केदार जाति महाजन निवासी गर्ल्स स्कूल के पीछे हिण्डौन तहसील हिण्डौन जिला करौली राज0

52. तहसीलदार तहसील हिण्डौन (लेण्ड होल्डर) ———————— प्रतिवादीगण

दावा बावत् तकास्मा, इस्तकरारहक
एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः–1. श्री अशोक नीमनका एडवोकेट वादी

2. श्री रामभरोसी गोयल एडवोकेट प्रतिवादी सं. 35,39,40,41,43,47,48,49

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

निर्णय
दिनांक :— 26.09.2025

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी ने दावा बाबत् तकास्मा, इस्तकरार हक एवं स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश कर वाद पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि आराजी साबिक खसरा नं0 659 रकवा 13 बीघा 16 बिस्वा स्थित ग्राम क्यारदा खुर्द जिसमें प्रतिवादी नं0 1 का 1/3 हिस्सा की खातेदारी रही है। 1/3 हिस्सा बिजेन्द्र सिंह, 1/3 हिस्सा मोतीसिंह की खातेदारी की आराजी रही है। उक्त तीनो मां जाऐ भाई व मृतक जवाहर की संतानें रहे हैं। उक्त खसरा नम्बर में उक्त खातेदारान द्वारा 1 बीघा 15 विस्वा भूमि तारकेश्वर प्रसाद, सुशील प्रसाद निवासी भरतपुर को बेचान करने के बाद उसकी अलग से खातेदारी कायम कर अलग खसरा नं0 659/2 रकवा 01 बीघा 15 बिस्वा कायम होने के बाद शेष रकवा का अलग खसरा नम्बर 659/1 रकवा 10 बीघा 11 बिस्वा कायम किया गया जो तीनों भाईयों की खातेदारी में सेटिलमेंट से पूर्व तक रहा है तथा इसी खसरा नं0 में से 1 बीघा रकबा रामखिलाडी शर्मा को बेचान कर दिया जिसकी अलग खातेदारी हो चुकी है।

वाद पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि प्रतिवादी नं0 1 द्वारा वादी को उक्त खसरा नं0 659 रकवा 13 बीघा 16 बिस्वा के 1/3 हिस्सें में से 10 बिस्वा रकवा का एक रजिस्टर्ड विकय दिनांक 16.11.78 को बहक वादी मुवलिग 2500/— भूमि मूल्य लेकर तकमील तस्दीक करवा दिया। कब्जा बाकई मौके पर फिजीकल तौर पर 10 बिस्वा भूमि पर वादी निम्न सीमान्तर्गत करवा दिया—

उत्तर — आबादी पावटियान के पुरा की।

दक्षिण — धावन धोलेटा पुख्ता रोड।

पूर्व — खाली भूमि रामखिलाडी शर्मा की।

पश्चिम — कलुआ, बाबू मूंडिया वालों की जमीन बाबूलाल जॉगिड

और दायरी विकय पत्र से वादी उक्त भूखण्ड पर बतोर मालिक काबिज एवं दखील है। आस पास में आबादी हो जाने के फलस्वरूप वादी द्वारा भी उक्त भूखण्ड के एक भाग में एक मकान पुख्ता करीब 33 X 40 फिट में तथा वादी के भाई रघुवीर द्वारा भी एक मकान पुख्ता करीब 55 X 40 फिट में बनाकर रिहायश कर ली है। दोनों ने 2 अलग—अलग विद्युत कनेक्शन लिये हुऐ हैं। पीने व काश्त के लिये ट्यूब बैल लगवाकर विद्युत मोटर लगा रखी है। चारों तरफ भूखण्ड की पुख्ता बाउण्ड्री—बाल करीब 2 लाख रूपया लगाकर करवा रखी है। वादी का राशन कार्ड व वोटर आई डी कार्ड भी उसी जगह के हैं। इस प्रकार कब्जा काश्त वादी भूमि विवादग्रस्त पर योम दायरी खरीद से आज दिन तक बखूबी साबित है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

वाद पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि आराजी साबिक खसरा नं0 659/1 रकवा 10 बीघा 16 का ही एक वादी का भूखण्ड ह और उक्त साबिक खसरा नं0 659/1 से मौजूदा खसरा नम्बर 1179 रकवा 11 ऐयर, 1183 रकवा 14 ऐयर, 1184 रकवा 8 ऐयर, 1185 रकवा 1 ऐयर, 1186 रकवा 23 ऐयर, 1265 रकवा 15 ऐयर, 1268 रकवा 5 ऐयर, 1269 रकवा 3 ऐयर, 1270 रकवा 11 ऐयर कुल किता 9 कुल रकवा 91 ऐयर स्थित ग्राम क्यारदाखुर्द कायम कर खाता संख्या 32 अलग खाता कायम कर दिया है। जिसमें जिन जिन लोगों को प्रतिवादी कल्याण व उसके भाई बिजेन्द्रसिंह, मोतीसिंह पिसरान जवाहर जाट निवासी क्यारदाखुर्द द्वारा बेचान किया है। उनका नाम खातेदारी में उनके हिस्सेनुसार दर्ज हो गया है और मौके पर अलावा प्रतिवादी नं0 1 सभी का कब्जा काश्त आराजी विवादग्रस्त पर है। प्रतिवादी नं.1 के हिस्से में 17 ऐयर जमीन खातेदारी में दर्ज है। जिसमें से 14 ऐयर जमीन पर वादी तथा शेष 3 ऐयर भूमि जिसे भी उसने स्टाम्प पर बेचान कर दीगर लोगों का कब्जा करवा दिया है। इस प्रकार प्रतिवादी नं0 1 कर उक्त आराजीयात के किसी भी भाग पर कब्जा नहीं है।

वाद पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि वादी के कब्जा काश्त व रिहायश का सेटिलमेंट विभाग द्वारा अलग खसरा नं0 1183 रकवा 14 ऐयर कायम कर प्रतिवादीगण नं0 1 ता 52 की सहखातेदारी में दर्ज कर दिया है। जिसका मौके पर रकवा 13 ऐयर ही है। इसलिये वादी निर्विवाद रूप से उक्त खसरा नं0 पर योम दायरी खरीद रजिस्टर्ड विक्रय पत्र तारीखी 16.11.78 से बतौर मालिक काबिज एवं दखील है। इसलिये उक्त आराजी की खातेदारी अपने नाम करवाने का हकदार है। वादी को अन्य सहखोतेदारान के हिस्से की जमीन से कोई संबंध नहीं है। नाही वादी को उससे कोई हकतलफी या विवाद है स्वयं प्रतिवादी नं0 1 भी वादी को उक्त खसरा नं0 की जमीन वादी के नाम करवाने को सहमत रहा है। मगर रेवन्यू कर्मचारियों के असहयोग के चलते वादी की खरीदशुदा जमीन की खातेदारी वादी के नाम नहीं हो पाई है। इसलिए दावा दायर करना आवश्यक हुआ है।

वाद पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि बाका दिनांक 01.03.12 को सुबह करीब 10 बजें का है कि वादी ने प्रतिवादीगण में से मुख्य व्यक्तियों को एकत्रित कर वादी के कब्जे की भूमि खसरा नं0 1183 की खातेदारी वादी के नाम करवाने बावत् कहा, तो प्रतिवादीगण ने कोई असहमति नहीं दर्शाई। मगर आगे चलकर मुकदमा में खर्चा करने से मना कर दिया। वादी ने प्रतिवादी नं01 से कहा तो उसने भी यही कहा कि मुझे तो पता ही नहीं कि जमीन आपके नाम अभी तक नहीं हुई है। इतने ज्यादा आदमी हो गये है। इसलिये मेरे हिस्से की रजिस्ट्री तो करवा सकता हूँ मगर खेत की नहीं करवा सकता। इसलिये दावा कर अपना खेत अपने नाम करवा लो। इसलिये दावा दायर करना आवश्यक हुआ है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

वाद पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि बिनाय दावा दिनांक 01.03.12 को प्रतिवादीगण द्वारा वादी के कब्जेशुदा जमीन की खातेदारी विकय पत्र के आधार पर करवाने से मना करने पर व मुकाम ग्राम क्यारदाखुर्द तहसील हिण्डौन इस सम्मानीय अदालत के क्षेत्राधिकारी में उत्तन्न हुआ है।

वाद पत्र के मद नं08 में दर्ज किया है कि दावा हाजा राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 88, 188 के तहत पेश किया गया है।

वाद पत्र के मद नं09 में दर्ज किया है कि दावा अन्दर मियाद पेश है।

वाद पत्र के मद नं011 क में दर्ज किया है कि दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण डिकी फरमाया जाकर इस आशय की घोषणा फरमाई जावे कि वादी आराजी खसरा नं0 1183 दरकवा 14 ऐयर स्थित ग्राम क्यारदाखुर्द तहसील हिण्डौन का मुताबिक विकय पत्र तारीखी 16.11.78 वादी खातेदार काश्तकार है। आराजीयात खसरा नं0 1178, 1184, 1185, 1186, 1265, 1268, 1269, 1270 किता 8 रकवा 72 ऐयर में प्रतिवादी नं0 1 बहिस्सा 1175/5697 के स्थान पर बहिस्सा 3 ऐयर दर्ज फरमाया जावे, और मोजूदा जमाबंदी से खसरा नं0 1183 रकवा 14 ऐयर हजफ फरमाया जाकर वादी के नाम अलग खातेदारी कायम करने की कृपा करें।

वाद पत्र के मद नं011 ख में दर्ज किया है कि दावा वादी खिलाफ प्रतिवादी नं0 1 डिकी फरमाया जाकर प्रतिवादी नं0 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा इस प्रकार पाबंद फरमाया जावे कि प्रतिवादी नं0 1 रिकोर्ड व मोके की स्थिति यथावत बनाए रखे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 30.07.2012 को प्रतिवादी सं0 1 ता 4, 6,7,8,9,12,13,14,18,19,24, 25, 28 ता 34, 37,38,42,51,52 बावजूद तामील उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करने के आदेश दिये गये। दिनांक 19.07.2021 को प्रतिवादी सं0 5,7,10,11,12,15,16,17, 21, 22,26,27,36,44,45,46,50 बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुए इसलिए इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करने के आदेश दिये गये। दिनांक 02.05.2012 को प्रतिवादी सं. 35,39,40,41,43,47, 48,49 की ओर से श्री रामभरोसी गोयल एडवोकेट ने उपस्थित होकर बकालतनामा पेश किया तथा दिनांक 07.10.2013 को जबावदावा पेश कर जबावदावा के मद नं01 में दर्ज किया है कि वादपत्र के मद नं0 1 में दर्ज आराजी ख0 नं0 659 बाके हिण्डौन स्थित होना एवं सेटिलमेंट से पूर्व उक्त आराजी जितेन्द्रसिंह, कल्याणसिंह एवं मोतीसिंह तीनों भाईयों की व हिस्सा बराबर की खातेदारी में होना स्वीकार है।

जबावदावा के मद नं02 में दर्ज किया है कि वादपत्र का मद नं0 2 जिस प्रकार तहरीर किया गया है गलत होने के कारण अस्वीकार है। साबिक खसरा नं0 659

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

संयुक्त खातेदारी की भूमि थी। उक्त भूमि के कोटीनेन्ट को उक्त भूमि का स्पेसीफिक भाग कानूनन बेचने का अधिकार नहीं है। नाही केता को कब्जा करने का हक है।

जबावदावा के मद नं03 में दर्ज किया है कि वादपत्र के मद नं0 3 में दर्ज साबिक खसरा नं0 659/1 रकवा 10 बीघा 16 बिस्वा के नवीन खसरा नं0 1179, 1183, 1184, 1185, 1186, 1265, 1268, 1269, 1270 के अलावा अन्य खसरा नम्बरान सेटिलमेंट वालों ने कायम किये हैं तथा साबिक खसरा नम्बर 659 का रकबा जिन जिन व्यक्तियों को बेचान कर दिया उसके नाम बतौर कोटीनेन्ट दर्ज हैं, तथा सभी केतागण कोटीनेन्ट मौके पर काबिज हैं। वादी का यह कहना सही है। प्रतिवादी सं0 1 कल्याणसिंह अपने हिस्सा की समस्त भूमि का बेचान कर चुका है। उसकी उक्त भूमि के किसी भाग पर कब्जा नहीं है तथा प्रतिवादी नं0 1 कल्याणसिंह के नाम के सहखातेदारी के इन्द्राज राजस्व रिकोर्ड में गलत दर्ज है।

जबावदावा के मद नं04 में दर्ज किया है कि वादपत्र का मद नं0 4 जिस प्रकार तहरीर किया गया है, गलत होने के कारण स्वीकार नहीं है। साबिक खसरा नं0 659 के सेटिलमेंट वालों द्वारा बनाये नवीन खसरा नम्बरान का अभी तक विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। वैसे मौके पर सभी कोटीनेन्ट सिवाय प्रतिवादी नं0 1 के बाहमी बंटवारा अनुसार काबिज हैं अब तक सभी नम्बरान का विधिवत बंटवारा मुताबिक कब्जा अनुसार नहीं हो जाये तब तक वादी खसरा नं0 1183 रकवा 14 ऐयर बाके क्यारदाखुर्द की खातेदारी अपने नाम कानूनन अलग कराने का अधिकारी नहीं है। वादी ने दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 टी0 ऐक्ट के तहत पेश किया है। दावा में केवल इस्तकरारहक की इस्तददुआ चाही है। वादी ने तकास्मा की इस्तदुआ नहीं चाही है। इसलिये दावा वादी चलने योग्य नहीं है।

जबावदावा के मद नं06 में दर्ज किया है कि वादी पत्र का मद नं0 6 कानूनी है।

जबावदावा के मद नं07 में दर्ज किया है कि वादपत्र का मद नं0 7 कानूनी है।

जबावदावा के मद नं08 में दर्ज किया है कि वादपत्र का मद नं0 8 कानूनी है।

जबावदावा के मद नं09 में दर्ज किया है कि वादपत्र का इस्तदुआ दादरसी गलत होने के कारण अस्वीकार है। वादी कोटीनेन्ट के खसरा नं0 1183 रकवा 14 ऐयर बाके ग्राम क्यारदाखुर्द की खातेदारी मुताबिक विक्रय पत्र दिनांक 11.2.78 के अपने नाम कराने का अधिकारी नहीं है। इसलिये वादी कोई रिलीफ पाने का अधिकारी नहीं है।

उज्रात मजीद :–

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

जबावदावा के मद नं010 में दर्ज किया है कि साबिक आराजी खसरा नं0 659 बाके क्यारदाखुर्द के कल्याणसिंह, बिजेन्द्रसिंह, मोतीसिंह तीनों भाईयों बहिस्सा बराबर के सहखातेदार काश्तकार थे तथा उक्त भूमि के नवीन खसरा नंम्बरान 1183 वाके हिण्डौन के अलावा अन्य नवीन खसरा नम्बर भी बनाये गये हैं। तथा साबिक खसरा नं0 659 के सभी खसरा नम्बरान कोटीनेन्सी में दर्ज हैं। इसलिये वादी केवल नवीन खसरा नं0 1183 बाके कस्बा हिण्डौन एवं अन्य कोटीनेन्सी की भूमि को बिना विधिवत कराये अपने नाम अलग से कराने का अधिकार नहीं है।

जबावदावा के मद नं011 में दर्ज किया है कि वादी द्वारा पेश तथाकथित बयनामा दिनांक 16.11.78 को विधि विरूद्ध है एक सहखातेदार को सहखातेदारी का स्पेसिफिक हिस्सा बेचने का कानूनन अधिकार नहीं है।

जबावदावा के मद नं012 में दर्ज किया है कि वादी ने साबिक खसरा नं0 659 बाके कस्बा हिण्डौन के बनाये गये सभी नवीन नम्बरान बावत् तकास्मा की रिलीफ नाही चाही गयी है। इसलिये वादी का दावा काबिल खारिज है।

अतः जबाव दावा पेश कर निवेदन किया है कि दावा वादी मय खर्चा खारिज फरमाया जावे तथा खर्चा मुकदमा प्रतिवादीगण का वादी से दिलाया जावे।

दावा एवं जबावदावा के आधार पर प्रकरण में निम्नलिखित तनकीयात कायम की गई :-

1. आया विवादित आराजीयात साबिक खसरा नं0 659 रकवा 13 बीघा 16 बिस्वा स्थित ग्राम क्यारदाखुर्द तहसील हिण्डौन के दौराने सेटिलमेंट कायम किये गये नवीन खसरा नं0 1183 रकवा 0.14 है0 का वादी मुताबिक जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16. 11.1978 के अनुसार खातेदारी अपने नाम कराने का अधिकारी है-जिम्मे वादी
2. आया विवादित आराजीयात साबिक खसरा नं0 659 रकवा 13 बीघा 16 बिस्वा स्थित ग्राम क्यारदाखुर्द तहसील हिण्डौन के दौराने सेटिलमेंट कायम किये गये नवीन खसरा नं0 1183 रकवा 0.14 है0 ग्राम क्यारदाखुर्द तहसील हिण्डौन के बावत् प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है।
3. आया वादी ने दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 टी0 एक्ट के तहत पेश किया है, दावा में केवल इस्तकरार हक की इस्तदुआ चाही है। वादी ने तकास्मा की इस्तदुआ नहीं चाही है। इसलिये दावा वादी खारिज योग्य है।-जिम्मे प्रतिवादी
4. आया वादी द्वारा पेश तथाकथित बयनामा दिनांक 16.11.1978 विधि विरूद्ध है एक सखातेदार को सहखातेदारी का स्पेसिकफिक हिस्सा बेचने का कानूनन अधिकार नहीं है। - जिम्मे प्रतिवादी
5. अनुतोष

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

वकील वादी ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2067–70 प्रदर्श–1, नकल जमाबन्दी सं0 2028–31 प्रदर्श–2, नकल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.11.1978 उनवानी कल्याणसिंह पुत्र जबाहर जाति जाट निवासी क्यारदा खुर्द तहसील हिण्डौन– विक्रेता प्रथमपक्ष बहक हरीशचन्द्र पुत्र हजारीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम गढी वादुआ हाल हिण्डौन सिटी –क्रेता द्वितीय पक्ष प्रदर्श–3, नकल जमाबन्दी सं0 2032–35 प्रदर्श–4, नकल जमाबन्दी सं0 2036–39 प्रदर्श–5, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–6,7,8, नकल नक्शा सीट हाल नम्बरान प्रदर्श–9, नकल नक्शा सीट साबिक नम्बरान प्रदर्श–10, फोटो प्रति विधुत बिल के.नं. 16030266 दिनांक 15.07.2009 हरीश चन्द पुत्र हजारीलाल शर्मा निवासी हिण्डौन, फोटो प्रति विधुत बिल के.नं. 16030266 दिनांक 07.01.2001 हरीश चन्द पुत्र हजारीलाल शर्मा निवासी हिण्डौन, फोटो प्रति परिवार राशन कार्ड संख्या 2K /753 हरिशचन्द पुत्र हजारीलाल शर्मा निवासी पावर हाऊस क्यारदाखुर्द के नाम से जारी किया हुआ है, पेश किये हैं तथा जुवानी सहादत में वादी हरीशचन्द ने स्वंय का शपथ पत्र पेश कर बयान दर्ज कराये हैं।

इसके विपरीत प्रतिवादीगण की ओर से दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2063–66 पेश की है तथा निरंजनलाल पुत्र श्री घनश्याम जाति महाजन निवासी हाल हिण्डौन का शपथ पत्र पेश कर बयान दर्ज कराये हैं।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और वादी का दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया है। इसके विपरीत वकील प्रतिवादी सं.35,39,40,41,43,47,48,49 के अधिवक्ता ने जबावदावा में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और वादी का दावा खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। जिसके आधार पर प्रकरण में कायम की गई तनकीयात का निर्णय निम्नानुसार किया जाता है :–

निर्णय तनकी नं01 :– आया विवादित आराजीयात साबिक खसरा नं0 659 रकवा 13 बीघा 16 बिस्वा स्थित ग्राम क्यारदाखुर्द तहसील हिण्डौन के दौराने सेटिलमेंट कायम किये गये नवीन खसरा नं0 1183 रकवा 0.14 है0 का वादी मुताबिक जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.11.1978 के अनुसार खातेदारी अपने नाम कराने का अधिकारी है। इस तनकी को साबित करने का भार वादी के जिम्मे है। जिसको साबित करने के लिए वकील वादी ने दस्तावेजी सबूत नकल जमाबन्दी सं0 2067–70 प्रदर्श–1 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1179 रकबा 0.11 है0, 1183 रकबा 0.14 है0, 1184 रकबा 0.08 है0, 1185 रकबा 0.01 है0, 1186 रकबा 0.23 है0, 1265 रकबा 0.15 है0, 1268 रकबा 0.05 है0, 1269

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

रकबा 0.03 है0, 1270 रकबा 0.11 है0, कुल किता 9 कुल रकबा 0.91 है0 वाके ग्राम क्यारदा खुर्द तहसील हिण्डौन की खातेदारी कल्याणसिंह जवाहर हि0 1175/5697 जाति जाट, सुखचन्द पुत्र फौंदेराम किशन पुत्र सरवन झूत्या पुत्र फौंदे बाबूलाल पुत्र कोदी, बद्री पुत्र बालू फैली पुत्र बालू जाति जाटव सा0 पावटा हाल आबाद क्यारदाखुर्द हि0 20/211 हिस्सा सम व गुमानसिंह मुकेश रमाकान्त पि0 मोतीसिंह रामेश्वरी बेबा मोतीसिंह हि0ब0हि0 151/633 राहिन ओ.बी.सी. शाखा हिण्डौन मुर्तहिन जाति जाट निवासी ग्राम, बाबूलाल पुत्र मनोहरी नि0 मातासूला हि0 1/54 जाति ब्राहम्ण, श्रीमती विमलेशदेवी धर्म पत्नि सुरेश कुमार जाति महाजन हि0 19/211 निवासी मोहन नगर हिण्डौन सिटी खातेदार, सन्तोष कुमार पुत्र कल्याण प्रसाद, शैलेन्द्र कुमार पुत्र लखनलाल गोयल एड्वोकेट, रामस्वरूप पुत्र किशोरीलाल अग्रवाल राजेन्द्र कुमार महेन्द्र कुमार दिनेश कुमार गिरधारीलाल रघुकुल लक्ष्मण पि0 पूरनमल रूकमणीदेवी बेबा पूरनमल कमलेश कुमारी, सुनीता कुमारी, निर्मला कुमारी पुत्रियॉ पूरनमल, नत्थीलाल पुत्र दुर्गालाल गुप्ता जाति महाजन निवासी हिण्डौन मनीष गुप्ता पुत्र घनश्याम प्रसाद महाजन निवासी भरतपुर हाल हिण्डौन सिटी, संजय पुत्र नैमीचन्द जाति महाजन निवासी भरतपुर हाल हिण्डौन सिटी, कैलाश पुत्र गोपाल जाति जाट निवासी रायपुर तहसील गंगापुर सिटी हि0 1/3, सन्तोष पुत्र कल्याण प्रसाद भगवानसहाय पुत्र केदारनाथ जाति अग्रवाल महाजन हि0 1/54 निवासी हिण्डौन सिटी खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2028—31 प्रदर्श—2 के अनुसार विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 659 वाके ग्राम क्यारदाखुर्द तहसील हिण्डौन की खातेदारी कल्याण बिजेन्द्रसिंह मोतीसिंह पि0 जवाहर जाति जाट सा0 ग्राम के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.11.1978 उनवानी कल्याणसिंह पुत्र जवाहर जाति जाट निवासी क्यारदा खुर्द तहसील हिण्डौन— विक्रेता प्रथमपक्ष बहक हरीशचन्द्र पुत्र हजारीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम गढी वादुआ हाल हिण्डौन सिटी —क्रेता द्वितीय पक्ष प्रदर्श—3 के अनुसार आराजी साबिक खसरा नम्बर 659 रकबा 13 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम क्यारदाखुर्द तहसील हिण्डौन में विक्रेता प्रथमपक्ष के निहित 1//3 हिस्से में से 10 बिस्वा भूमि का बेचान किया गया है तथा विक्रीत भूमि पर कब्जा क्रेता द्वितीय पक्ष को कराना अंकित है विक्रीत रकबा 10 बिस्वा जो क्रेता द्वितीय पक्ष को बेचा गया है उसकी सीमा व लम्बाई नाप इस प्रकार निम्न है। तरफ दिशा दक्षिण धवान धौलेटा रोड साईड लम्बाई सिरा साढे बारह गट्ठा तथा उत्तर दिशा सिरा 11 गट्ठा तथा पश्चिमी सिरा 17 गट्ठा तथा पूर्वी सिरा 17 गट्ठा, इस विक्रीत रकबा के पूर्व में रामस्वरूप कारीगर खेडला वाला तत्पश्चात बिजेन्द्र राधेश्याम महाजन, पश्चिम में विकता प्रथमपक्ष का शेष रकबा, उत्तर में खुद विक्रेता बाद में मोतीसिंह का हिस्सा, दक्षिण में सडक धबान धौलेटा रोड पडती है का बेचान किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

नकल जमाबन्दी सं0 2032–35 प्रदर्श–4 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 659/2 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम क्यारदाखुर्द तहसील हिण्डौन की खातेदारी तारकेश्वर प्रसाद सुशील कुमार पि0 कैलाशचन्द जैन निवासी नीम दरवाजा भरतपुर के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2036–39 प्रदर्श–5 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 659/1 रकबा 10 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम क्यारदाखुर्द तहसील हिण्डौन की खातेदारी कल्याण विजेन्द्र मोतीसिंह पि0 जवाहर जाति जाट निवासी ग्राम समभाग दर्ज रिकार्ड है।

नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–6,7,8 के अनुसार विवादित आराजीयात साबिक खसरा नम्बरान के दौराने सेटिलमेन्ट नवीन खसरा नम्बरान निम्नानुसार कायम किये गये हैं।

साबिक खसरा नं0	रकबा	हाल खसरा नं0	रकबा हैक्टेयर में
659/1 मिन	10 बीघा 11 बिस्वा	1177	0.20
		1178	0.32
		1179	0.11
		1180	0.26
		1183	0.14
		1184	0.08
		1185	0.01
		1186	0.23
		1265	0.15
		1266	0.13
		1268	0.05
		1269	0.03
		1270	0.11
		1271	0.03
		1274	0.13
		1275	0.06
		1276	0.02
659/4 मिन	1 बीघा	1181	0.13
		1182	0.13
659/2 मिन	1 बीघा 10 बिस्वा	1267	0.17
		1272	0.15
659/3 मिन	15 बिस्वा	1273	0.18
		1243	0.18

फोटो प्रति विधुत बिल के.नं. 16030266 दिनांक 15.07.2009 हरीश चन्द पुत्र हजारीलाल शर्मा निवासी हिण्डौन के नाम से जारी किया हुआ है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

फोटो प्रति विधुत बिल के.नं. 16030266 दिनांक 07.01.2001 हरीश चन्द पुत्र हजारीलाल शर्मा निवासी हिण्डौन के नाम से जारी किया हुआ है।

फोटो प्रति परिवार राशन कार्ड संख्या 2K /753 हरिशचन्द पुत्र हजारीलाल शर्मा निवासी पावर हाऊस क्यारदाखुर्द के नाम से जारी किया हुआ है।

उपरोक्त विचवेचन के आधार पर यह स्पष्ट कि नकल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.11.1978 उनवानी कल्याणसिंह पुत्र जवाहर जाति जाट निवासी क्यारदा खुर्द तहसील हिण्डौन– विक्रेता प्रथमपक्ष बहक हरीशचन्द्र पुत्र हजारीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम गढी वादुआ हाल हिण्डौन सिटी –क्रेता द्वितीय पक्ष प्रदर्श–3 के अनुसार आराजी साबिक खसरा नम्बर 659 रकबा 13 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम क्यारदाखुर्द तहसील हिण्डौन में विक्रेता प्रथमपक्ष के निहित 1 / /3 हिस्से में से 10 बिस्वा भूमि का बेचान किया गया है तथा विक्रीत भूमि पर कब्जा क्रेता द्वितीय पक्ष को कराना अंकित है विक्रीत रकबा 10 बिस्वा जो क्रेता द्वितीय पक्ष को बेचा गया है उसकी सीमा व लम्बाई नाप इस प्रकार निम्न है। तरफ दिशा दक्षिण धवान धौलेटा रोड साईड लम्बाई सिरा साढे बारह गट्ठा तथा उत्तर दिशा सिरा 11 गट्ठा तथा पश्चिमी सिरा 17 गट्ठा तथा पूर्वी सिरा 17 गट्ठा, इस विक्रीत रकबा के पूर्व में रामस्वरूप कारीगर खेडला वाला तत्पश्चात बिजेन्द्र राधेश्याम महाजन, पश्चिम में विकता प्रथमपक्ष का शेष रकबा, उत्तर में खुद विक्रेता बाद में मोतीसिंहका हिस्सा, दक्षिण में सडक धबान धौलेटा रोड पडती है का बेचान किया गया है, के अनुसार वादी साबिक खसरा नम्बर 659 रकबा 13 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम क्यारदाखुर्द तहसील हिण्डौन में 10 बिस्वा भूमि कय करना साबित है किन्तु उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर आदिनांक तक वादी अपने नाम खातेदारी नहीं करा पाया है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर वादी अपने नाम खसरा नम्बर 1183 रकबा 0.84 है0 की खातेदारी कराने का अधिकारी साबित नहीं होता है। संयुक्त खातेदारी की भूमि में प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच भू–भाग पर कब्जा काश्त माना जाता है जब तक कि उन सहखातेदारों के मध्य विधिवत रूप से तकास्मा होकर पृथक पृथक खाता व लगान कायम नहीं हो जाता है, जबकि वादी के हक में किये गये विक्रय पत्र के अनुसार विक्रेता कल्याणसिंह हि0 1/3 भाग का सहखातेदार काश्तकार था। उक्त प्रकरण में वादी के द्वारा कोई बंटवारा की रिलीफ नहीं चाही गई गई है। अतः यह तनकी बहक प्रतिवादीगण खिलाफ वादी निर्णित की जाती है।

निर्णय तनकी नं0 2 :– आया विवादित आराजीयात साबिक खसरा नं0 659 रकवा 13 बीघा 16 बिस्वा स्थित ग्राम क्यारदाखुर्द तहसील हिण्डौन के दौराने सेटिलमेंट कायम किये गये नवीन खसरा नं0 1183 रकवा 0.14 है0 ग्राम क्यारदाखुर्द तहसील हिण्डौन के बावत् प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है। इस तनकी को साबित करने का भार वादी के जिम्मे है। तनकी नं01 के निर्णय में विस्तृत विवेचन किया

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

जा चुका है और यह स्पष्ट हो चुका है कि जब वादी विवादित आराजीयात साबिक खसरा नं0 659 रकवा 13 बीघा 16 बिस्वा स्थित ग्राम क्यारदाखुर्द तहसील हिण्डौन के दौराने सेटिलमेंट कायम किये गये नवीन खसरा नं0 1183 रकवा 0.14 है0 ग्राम क्यारदाखुर्द तहसील हिण्डौन का खातेदार काश्तकार घोषित कराने का अधिकारी साबित नहीं है तो प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का भी वादी अधिकारी नहीं है। अतः यह तनकी बहक प्रतिवादीगण खिलाफ वादी निर्णित की जाती है।

निर्णय तनकी नं0 3 :– आया वादी ने दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 टी0 एक्ट के तहत पेश किया है, दावा में केवल इस्तकरार हक की इस्तदुआ चाही है। वादी ने तकास्मा की इस्तदुआ नहीं चाही है। इसलिये दावा वादी खारिज योग्य है। इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण के जिम्मे है। तनकी नं01 व 2 के निर्णय में विस्तृत विवेचन किया जा चुका है और यह स्पष्ट हो चुका है कि वादी विवादित आराजीयात साबिक खसरा नं0 659 रकवा 13 बीघा 16 बिस्वा स्थित ग्राम क्यारदाखुर्द तहसील हिण्डौन के दौराने सेटिलमेंट कायम किये गये नवीन खसरा नं0 1183 रकवा 0.14 है0 ग्राम क्यारदाखुर्द तहसील हिण्डौन का खातेदार काश्तकार घोषित कराने का अधिकारी साबित नहीं है तथा वादी के द्वारा अपने दावे में तकास्मा का कोई रिलीफ नहीं चाही गई है। इस बिना पर भी वादी का दावा खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः यह तनकी बहक प्रतिवादीगण खिलाफ वादी निर्णित की जाती है।

निर्णय तनकी नं0 4 :– आया वादी द्वारा पेश तथाकथित बयनामा दिनांक 16.11.1978 विधि विरूद्ध है एक सखातेदार को सहखातेदारी का स्पेसिकफिक हिस्सा बेचने का कानूनन अधिकार नहीं है। इस तनकी को साबित करने का भार वादी के जिम्मे है। तनकी नं01ता 3 के निर्णय में विस्तृत विवेचन किया जा चुका है और यह स्पष्ट हो चुका है कि वादी विवादित आराजीयात साबिक खसरा नं0 659 रकवा 13 बीघा 16 बिस्वा स्थित ग्राम क्यारदाखुर्द तहसील हिण्डौन के दौराने सेटिलमेंट कायम किये गये नवीन खसरा नं0 1183 रकवा 0.14 है0 ग्राम क्यारदाखुर्द तहसील हिण्डौन का मुताविक रजिस्टर्ड विक्रय दिनांक 16.11.1978 के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित कराने का अधिकारी साबित नहीं है। किसी भी सहखातेदार को सहखातेदारी की भूमि का स्पेसिकफिक हिस्सा बेचने का कानूनन अधिकार नहीं है। अतः यह तनकी बहक प्रतिवादीगण खिलाफ वादी निर्णित की जाती है।

अनुतोष :– उपरोक्त वर्णित सभी तनकीयात का निर्णय बहक प्रतिवादीगण खिलाफ वादी हुआ है। इस प्रकार वादी अपने वाद पत्र को साबित करने में असफल रहा है। ऐसे हालात में वादी का दावा बाबत् तकास्मा, इस्तकरार हक एवं स्थायी निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादीगण खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् तकास्मा, इस्तकरार हक एवं स्थायी निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादीगण विवादित आराजी खसरा नम्बर 1183 रकबा 0.14 है0 वाके ग्राम क्यारदाखुर्द तहसील हिण्डौन खारिज किया जाता है। उपरोक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.09.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/9/25
(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)